न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

(1)

निगरानी प्र.क्र. निगरानी-2712/2018/छतरपुर/भू.रा.

1. लाखनसिंह ठाकुर तनय स्वं इन्द्रसिंह ठाकुर
2. श्रीमती कृष्णादेवी पत्नी लाखनसिंह ठाकुर
नि. ग्राम धौरी हाल नि. हनुमान टौरिया के नीचे पठापुर रोड छतरपुर तह. व जिला-छतरपुर म.प्र. ---

-- आवेदकगण

बनाम

1. अजयसिंह तनय स्वं. इन्द्रसिंह ठाकुर
2. कल्याणसिंह तनय स्वं. इन्द्र सिंह ठाकुर
3. भगवानसिंह तनय स्व. इन्द्र सिंह ठाकुर
4. विक्रमसिंह तनय स्व. इन्द्रसिंह ठाकुर
5. फूलसिंह तनय कामतासिंह ठाकुर
6. रणधीर तनय कामता सिंह
7. दिलीपसिंह तनय कामतासिंह
8. उत्तमसिंह तनय खलकसिंह
9. अमानसिंह तनय खलकसिंह
10. बलवानसिंह तनय श्रीरामसिंह (फौत)
11. चतुरसिंह तनय बलवानसिंह
12. गजराजसिंह तनय स्वं. रामसिंह ठाकुर

समस्त निवासीगण धौरी तह. व जिला- छतरपुर म.प्र.।

--- अनावेदकगण

13. म.प्र. शासन ---

निगरानी अंतर्गत धारा- 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959
निग. विरुद्ध न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के अपी.प्र.क्र. 422/अ-27/11-12 में पारित आदेश दिनांक- 21-3-18 के बावत्।

श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव द्वारा आज दि. 2-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 11-5-18 नियत। 2-5-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

राजस्व मण्डल, ग्वालियर
पृष्ठ क्र. 01 से 08
दिनांक 02/05/18
हस्ताक्षर व नाम

Lakhan Singh
Bhuvaneshkar
2/5/2018

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2712/2018/छतरपुर/भू.रा. लाखनसिंह विरूद्ध अजयसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-07-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक श्री लाखनसिंह के अभिभाषक श्री चंद्रेश श्रीवास्तव एवं अनावेदक शासन की ओर से श्री राजेश पाठक, अभिभाषक को पूर्व में दिनांक 04-07-2018 को सुना गया था । 3. ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-03-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । 4. अपर आयुक्त के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन कर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेकदगण के आवेदन पर विधिवत इश्तहार का प्रकाशन कर व पक्षकारों को सूचना पत्र जारी कर पटवारी द्वारा मौके पर जाकर पारिवारिक सहमति कब्जा अनुसार फर्द तैयार कर बंटवारा आदेश पारित किया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को साक्ष्य का अवसर देते हुये गुण-दोषों के आधार पर दिनांक 30-11-11 को आदेश किया गया, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 30-11-11 स्थिर रखने का आदेश पारित कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की गई । 5. अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य 16.7.18	